अध्याय 4
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 एवं कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 का अनुपालन

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ईएसआईए), 1948 कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व और रोजगार की चोट के मामले में कुछ लाभ प्रदान करने और उनके संबंध में कुछ अन्य मामलों में प्रावधान करने के लिए बनाया गया था। अधिनियम और नियम उन प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं जहां 10 (20 कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में) या अधिक व्यक्ति, पिछले 12 महीनों में, किसी एक दिन भी कार्यरत रहे हैं। मूल नियोक्ता/ठेकेदार द्वारा अधिनियम और नियमों की प्रयोज्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जिन पर यह अधिनियम लागू होगा, उन कारखानों और प्रतिष्ठानों में सभी कर्मचारियों को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त तरीके से बीमाकृत किया जाएगा।

4.1 कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ नियोक्ता (ठेकेदार) का पंजीकरण

4.1.1 पहली बार नियोक्ता संहिता के लिए नियोक्ता (ठेकेदार) द्वारा आवेदन

नियम[60] यह बताता हैं कि एक ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता, जिस पर वह अधिनियम पहली बार लागू होता है और जिसके लिए नियोक्ता का कोड संख्या अभी तक आवंटित नहीं हुई है और उस संस्थान के संबंध में नियोक्ता जिस पर पहले अधिनियम लागू किया गया था लेकिन समाप्त हो गया है, लिखित रूप में पंजीकरण की घोषणा, तदनुसार उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा, जो अधिनियम लागू होने के 15 दिनों के बाद नहीं किया गया हो।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 112[61] ठेके के संबंध में ठेकेदारों को क.रा.बि. निगम के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ पंजीकृत किया गया और उन्हें नियोक्ता के कोड नंबर आबंटित किया गया,
- 116[62] संविदाओं के संबंध में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ ठेकेदारों को पंजीकृत नहीं किया गया और उन्हें नियोक्ता का कोड नंबर आबंटित नहीं किया गया,
- 235 संविदाओं के संबंध में, संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किए गए।

[60] 17 अक्टूबर 1 9 50 को ईएसआईसी द्वारा जारी अधिसूचना के नियम 10 बी

[61] एनसीआर (13), सीआर (20), ईआर (10), एनआर (33), एनडब्ल्यूआर (1 9), एसडब्ल्यूआर (11), आरपीयू / मेट्रो (6)

[62] एनसीआर (51), सीआर (14), एनआर (32), एनडब्ल्यूआर (11), आरपीयू / मेट्रो (2), डीएलडब्ल्यू (4), सीएलडब्ल्यू (2)

4.1.2 संविदा श्रमिकों के लिए ईएसआई खाता संख्या का आबंटन

विनियमन[63] यह बताता है कि नियोक्ता से कर्मचारियों की घोषणा के साथ रिटर्न की प्राप्ति पर, उपयुक्त कार्यालय तुरंत प्रत्येक व्यक्ति को बीमा संख्या (ईएसआई खाता संख्या) आवंटित करेगा जिनके बारे में घोषणा फार्म प्राप्त हुआ है।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 49[64] संविदाओं के संबंध में, ईएसआई खाता संख्या ठेकेदारों द्वारा प्राप्त की गई;
- 148[65] संविदाओं के संबंध में, ईएसआई खाता संख्या प्राप्त नहीं हुई; तथा
- 266 संविदाओं के संबंध में, संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

4.2 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से कटौती और नियोक्ता से योगदान का भुगतान

निर्धारित प्रावधानों[66] के अनुसार, किसी कर्मचारी के संबंध में इस अधिनियम के तहत देय अंशदान, नियोक्ता के अंशदान मे मजदूरी का 4.75 प्रतिशत और कर्मचारियों के अंशदान में मजदूरी का 1.75 प्रतिशत होगा और यह अंशदान ईएसआईसी को देय होगा।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 81 संविदाओं के संबंध में, 4423 संविदा श्रमिकों से ईएसआई कटौती और ईएसआईसी के साथ इसकी जमा नियोक्ता द्वारा की गई थी जिसमें 12 अनुबंध शामिल थे, जहां लेखापरीक्षा के अनुसार 503 संविदा श्रमिकों से ₹0.02 करोड़ की कम कटौती की गई।
- 80 संविदाओं मे, 1385 संविदा श्रमिकों से ₹0.22 करोड़ की आकलित ईएसआई की कटौती बिल्कुल नहीं हुई थी; तथा
- 302 संविदाओं के संबंध में अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

अनुबंध 4.1

---

[63] कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1 9 50 के विनियमन 15

[64]एनसीआर (2), सीआर (5), ईआर (7), एनआर (17), एनडब्ल्यूआर (11), एसडब्ल्यूआर (4), आरपीयू / मेट्रो (3)

[65]एनसीआर (54), सीआर (22), ईआर (2), एनआर (41), एनडब्ल्यूआर (1 9), आरपीयू / मेट्रो (2), डीएलडब्ल्यू (4), सीएलडब्ल्यू (4)

[66]ईएसआईए, 1 9 48 की धारा 39 (1)

- 40 संविदाओं में, 2797 संविदा श्रमिकों के संबंध में नियोक्ता के ईएसआई योगदान और ईएसआईसी के साथ इसकी जमा नियोक्ता (ठेकेदार) द्वारा की गई थी जिसमें 10 अनुबंध शामिल थे जहां 367 संविदा श्रमिकों के लिए नियोक्ता द्वारा किए गए ईएसआई योगदान ₹0.01 करोड़ से कम था, जैसा लेखा परीक्षा द्वारा आकलन किया गया।
- 88 संविदाओं के संबंध में, 1911 संविदा श्रमिकों के लिए ₹0.71 करोड़ की नियोक्ता द्वारा ईएसआई योगदान बिल्कुल नहीं किया गया, और
- 335 संविदाओं के संबंध में अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किए गए।

अनुबंध 4.2

- यह भी देखा गया कि एक संविदा में तैनात 257 संविदा श्रमिकों में से, 157 संविदा श्रमिकों का नाम ईएसआई निगम के पोर्टल के नाम से मेल नहीं था। रेलवे प्रशासन द्वारा इसे ठीक करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।

4.3 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत योगदान का भुगतान करने के लिए मूल नियोक्ता की देयता

प्रावधानों[67] के अनुसार, एक ठेकेदार के माध्यम से लगे संविदा श्रमिकों सहित अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में मूल नियोक्ता योगदान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, यदि कोई कम अंशदान/बिना अंशदान का मामला पाया गया है तो मूल नियोक्ता ठेकेदार के बिल से ईएसआई के बकाया राशि की कटौती करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। नियम[68] में यह भी कहा गया है कि किसी नियोक्ता के द्वारा या उसके द्वारा नियोजित किसी कर्मचारी के संबंध में अंशदान का भुगतान करने वाला एक मूल नियोक्ता उस भुगतान के योगदान की राशि (जो कि नियोक्ता का अंशदान अथवा कर्मचारी के अंशदान, यदि कोई हो) तत्काल नियोक्ता से या तो किसी भी संविदा के तहत मूल नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि से या तत्काल नियोक्ता द्वारा ऋण के रूप में देय राशि से कटौती करेगा ।

लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए 463 संविदाओं में यह देखा गया कि ठेकेदार द्वारा ₹0.96 करोड़ की राशि नहीं काटा/कम काटा गया था और ईएसआईसी को जमा नहीं किया गया था। रेलवे प्रशासन ने ठेकेदार के बिल से वसूली की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की थी और इसे ईएसआईसी मे जमा नहीं किया गया था। किसी भी संविदा में

[67] ईएसआईए, 1948 की धारा 40

[68] ईएसआईए., 1948 की धारा 41

नहीं कटौती/कम कटौती के ऐसे मामलों में पहचान के लिए कोई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद नहीं है।

4.4 ईएसआईसी द्वारा जांच और निगरानी

निर्धारित प्रावधानों[69] के अनुसार, ईएसआईसी को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों से ईएसआई राशि की कटौती/योगदान की तथा काटी गई योगदान की राशि को ईएसआईसी में जमा करने की सत्यता की जांच करनी चाहिए। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, रेलवे प्रशासन के अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, जिससे यह जाना जा सके कि उपरोक्त अधिनियमों के तहत सांविधिक दायित्वों की पूर्ति के लिए निर्धारित नियमों और प्रावधानों की अनुपालन की जांच के लिए ईएसआईसी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि व्यापार विनियमन को सरल बनाने के लिए, श्रमिक निरीक्षण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने के लिए अगस्त 2014 में एक पारदर्शी निरीक्षण नीति[70] तैयार की गई है। नीति में निरीक्षण के लिए इकाइयों के चयन के लिए वास्तविक मानदंडों की परिकल्पना की गई है। पॉलिसी में नई इकाइयां, छह महीनों के लिए डिफॉल्टर इकाइयां, ऐसी इकाइयां जिसे बंद करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है तथा ऐसी इकाइयां जहां पिछले तीन सालों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया है, के लिए अनिवार्य निरीक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ईएसआईसी एक पारदर्शी और उत्तरदायी श्रमिक निरीक्षण प्रणाली के लिए फील्ड स्तर के आंकड़ों को इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीय विश्लेषण और खुफिया इकाई (सीएआईयू) स्थापित करेगा। सीएआईयू के माध्यम से अग्रेषित किए गए मामले डेटा और सबूत पर आधारित होंगे और ईएसआईसी, सीएआईयू द्वारा अपनी प्राथमिकताओं और आईएलओ सी -81[71] के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मामलों के चयन मानदंडों के लिए एक उपयुक्त पद्धति तैयार करेगा। कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में, निरीक्षण वैकल्पिक होगा और निरीक्षण जिस खाते में योगदान बंद हो गया है, जिस श्रमिक का योगदान नहीं हो रहा है आदि को ध्यान में रखते हुए कम्प्यूटर द्वारा पूर्व निर्धारित संख्या तालिकाओं का प्रयोग करके किया जाएगा। निरीक्षण पॉलिसी के तहत निर्धारित पद्धति में नियोक्ता को श्रम सुविधा पोर्टल पर मास्टर डेटा और आवधिक रिटर्न को फीड करना है। इस प्रकार ठेकेदारों पर अधिनियमों और नियमों के प्रयोज्यता की स्वयं को आश्वस्त करना और

[69]ईएसआईए, 1948 की धारा 44 और 45

[70]सं एस -11 / 12/2/2008 - संशोधित- II, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली दिनांक 01 अगस्त 2014

[71] अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के श्रम निरीक्षण के संबंध में सिफारिश

ईएसआईसी के साथ अपने पंजीकरण को सुनिश्चित करना मूल आवश्यकता होगी, जिसे मूल नियोक्ता (रेलवे) को सुनिश्चित करना है ताकि अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जा सके। यह और भी ज़रूरी है, क्योंकि मूल नियोक्ता ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत अनुबंधित श्रमिकों सहित अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।